बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0सं0–भवन / 10 / विविध–(द0बि0)–51 / 2015......................... / पटना, दिनांक–

:: अधिसूचना ::

श्री संतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना द्वारा अभियंत्रण सेवा संघ द्वारा आहुत दिनांक–06.02.2013 से दिनांक–12.03.2013 तक की हड़ताल अवधि के दौरान वे दिनांक–06.02.2013 से दिनांक–04.03.2013 तक कुल–27 दिनों तक हड़ताल पर रहे। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–83(भ0) दिनांक–25.03.2014 द्वारा अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों को उक्त हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। श्री कुमार को भी इस क्रम में कुल–27 दिनों का उपार्जित अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि महालेखाकार / वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा वेतन पूर्जा तभी प्राधिकृत किया जायेगा जबकि संबंधित पदाधिकारी के अवकाश लेखा में यथेष्ट अवकाश देय हो।

2. उक्त वित्त विभाग के संकल्प तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा महालेखाकार से उपार्जित अवकाश आदेयता विवरणी तथा वेतन पूर्जा प्राप्त किये बिना ही हड़ताल अवधि के वेतन की निकासी कर ली गई तथा महालेखाकर को सूचित कर दिया गया कि हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान इनके द्वारा तदर्थ रूप से कर लिया गया है। वरीय लेखा अधिकारी के पत्रांक–सह–पठित ज्ञापांक–2087 दिनांक–10.03.2015 द्वारा श्री कुमार द्वारा उक्त अवधि के वेतन निकासी को नियम संगत नही माना गया। विभागीय पत्रांक–4249(भ0) दिनांक–24.04.2015 द्वारा श्री कुमार से उक्त संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में श्री संतोष कुमार द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–1241 दिनांक–11.05.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. उक्त स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर से समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा हड़ताल अवधि के वेतन की निकासी महालेखाकार, बिहार से बिना अवकाश वेतन पूर्जा प्राप्त किये पूर्व से प्राप्त अवकाश देयता प्रमाण–पत्र एवं स्थायी वेतन पूर्जा के आधार पर दिनांक–09.05.2014 को विपत्र संख्या–13 / 14–15 द्वारा कर लिया गया है। जबकि उन्हें वेतन की निकासी के पूर्व महालेखाकार कार्यालय से अवकाश लेखा तथा वेतन पूर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए था।

4. अतएव श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–12006 दिनांक–13.12.2016 द्वारा **निंदन (आरोप वर्ष–2014–2015)** लघु दण्ड संसूचित किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक–21.12.2016 को विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि तदर्थ वेतन भुगतान का निर्णय लेने में एक छोटी सी गलती हुई इससे कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। साथ ही उनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आरोप का वर्ष 2012–13 होनी चाहिए। क्योंकि वेतन निकासी संबंधी हड़ताल अवधि 2012–13 थी। श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा हड़ताल अवधि 2012–13 के वेतन की निकासी महालेखाकार, बिहार से बिना वेतन पुर्जा प्राप्त किये हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 में की गई। इसलिए विभागीय समीक्षोपरान्त श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार योग्य नहीं मानते हुए निरस्त किया जाता है।

इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को बिहार राजपत्र अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 205 (व)   पटना, दिनांक– 8/1/18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/माननीय उप मुख्य (भवन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पटना/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/श्री संतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना/राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–01 एवं 02, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/2018

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

5/1/18